कार्यालय : वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सारण्डा वन प्रमण्डल, चाईबासा।

Email ID-sarandadfo@gmail.com Phone :- 06582-256366

जहाँ है हरियाली । वहाँ है खुशहाली ।।

पत्रांक 1870/ चाईबासा, दिनांक 22.08.2017

सेवा में,

पुलिस अधीक्षक,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

विषय :– गुवा थानान्तर्गत रोआम में पुलिस फोरवर्ड कैम्प की स्थापना हेतु वन संरक्षण अधिनियम,1980 के तहत 2.5 एकड़ (1.0121हे0) वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :– झारखण्ड सरकार, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय रॉची पत्रांक वनभूमि – 07/ 2017 –3428 व0प0 दिनांक 12.08.2017 एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड,रॉची का पत्रांक 721 दिनांक 21.08.2017।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में सूचित करना है कि झारखण्ड सरकार, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ,रॉची के प्रासंगिक पत्र से वन संरक्षण अधिनियम,1980 के प्रावधानो के तहत् गुवा थानान्तर्गत रोआम में पुलिस फोरवर्ड कैम्प की स्थापना के लिए वनभूमि का अपयोजन स्वीकृति सैद्धान्तिक रूप से सशर्त्त दी गई है। स्वीकृत्यादेश की शर्त्त संख्या–2 के अनुसार अपयोजित वनभूमि का NPV की राशि एकमुश्त कैम्पा खाते में जमा करनी है।

माननीय सर्वोच्च न्यायलय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.03.2008 में वनभूमि का N.P.V के लिए निर्धारित दर तालिका के अनुसार विषयगत दीघा फोरवर्ड कैम्प के लिए अपयोजन स्वीकृत 1.0121 हे0 वनभूमि की N.P.V की संगणना निम्नवत की जाती है :–

कम संख्या	प्रस्तावित निर्माण/संरचना	रकवा	एन0पी0वी0की दर प्रति हे0	राशि(रूपये में)
1	रोआम पुलिस फारवर्ड कैम्प	2.5 Acre (1.0121 ha.)	730000/-	738833/-
			योग:–	**738833/-**

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त पुलिस एवं अर्द्धसैनिक बल के लिए रोआम पुलिस फोरवर्ड कैम्प के अपयोजन स्वीकृत 1.0121 हे0 वनभूमि का N.P.V, की संगणित राशि 7,38,833/– (सात लाख अड़तीस हजार आठ सौ तैंतीस) रूपये मात्र को कोरपोरेशन बैंक, लोधी कम्पलेक्स शाखा, नई दिल्ली के Campa A/c No. CAF, Jharkhand SB-01025212 में RTGS / NEFT / Bank Draft के माध्यम सीधे जमा कर रसीद इस कार्यालय में जमा किया जाय। साथ ही यदि N.P.V, की वसूलनीय राशि में किसी प्रकार का संशोधन होता है तो संशोधित राशि के अनुसार अवशेष N.P.V. की राशि जमा करने सम्बन्धी शपथ पत्र भी कृपया अलग से समर्पित किया जाय। अतः स्वीकृत्यादेश में वर्णित शर्त्तो का अनुपालन प्रतिवेदन 7–7 प्रतियों में भी समर्पित की जाय ताकि अन्तिम स्वीकृति हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

आपका विश्वासी

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
सारण्डा वन प्रमण्डल,
चाईबासा।